

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

**माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर से बाघ एवं
अन्य वन्यजीव के अवैध शिकार में शामिल अंतर्राज्तीय गिरोह के
फरार आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त**

प्रेस विज्ञप्ती (71/25, दिनांक 13.11.2025)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर इसकी क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी एवं वनमंडल श्योपुर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सवाई माधौपुर-श्योपुर-कराहल मार्ग पर घेराबंदी कर दिनांक 04.06.25 को 01 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 225 नग वन्यजीव के अवयव (हड्डिया) जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/19 दिनांक 04.06.25 दर्ज किया गया। प्रकरण में नवीन वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये।

उक्त प्रकरण क्रमांक 237/19 दिनांक 04.06.25 में फरार आरोपी राज्या भील पिता ज्ञान सिंह भील के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर में प्रथम अग्रिम जमानत याचिका क्रमांक एमसीआरसी नमम्बर 51905/2025 लगाई जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2025 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी के द्वारा सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार बीएनएसएसकी धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत याचिका निरस्त किया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल